



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57027

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 405/2026**

प्रियंका सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

---

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: कैलाश नाथ

---

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.)

---

**न्यायालय सं० - 69**

**माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश नाथ, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह जमानत आवेदन, आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 412 सन् 2019, अन्तर्गत धारा 420, 406, 120-ख, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर में विचारण के दौरान जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना हेतु दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक पर आरोप है कि वह अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ जे.के.वी. लैण्ड डेवलपर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशक के रूप में भारी प्रतिफल का आश्वासन देकर प्रथम सूचनादाता एवं अन्य निवेशकों को कम्पनी में निवेश करने के लिए प्रेरित करती थी किन्तु कम्पनी द्वारा जारी बांड की परिपक्वता पर प्रथम सूचनादाता एवं अन्य निवेशकों को कोई धनराशि अदा नहीं की गई।

*अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने सन् 2011 में प्रश्नगत कम्पनी से त्यागपत्र दे दिया था, जिसे संलग्न शपथपत्र के पृष्ठ 44 पर संलग्न प्रपत्र-32 से सत्यापित किया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सन् 2011 के उपरान्त आवेदक का उक्त कम्पनी से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था और उसे केवल इसलिए झूठा फँसाया गया है क्योंकि वह रिलेशन मैनेजर राकेश कुमार सिंह की पत्नी है, जिन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 42039/2021 में दि० 08.03.2022 को पारित आदेश द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। अतएव, आवेदक, महिला होने के नाते, समता के आधार पर भी जमानत पर मुक्त होने की अधिकारी है। अन्त में यह भी प्रस्तुत किया गया कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक 21 मामलों के आपराधिक इतिहास की व्याख्या कर चुकी है, जो वर्तमान प्रकरण के समान प्रकृति के हैं एवं निवेशकों द्वारा इस आधार पर दर्ज कराये गये हैं कि आवेदक उक्त कम्पनी की निदेशक थी। वह दि० 13.11.2025 से कारागार में बन्द है। यदि आवेदक को जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का तीव्र विरोध किया किन्तु उपरोक्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सके।

6. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए एवं इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक एक महिला है तथा अपराध की प्रकृति, अभियुक्त की सहापराधिता एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए एवं कारागारों में अतिभीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी संख्या में लम्बितता को भी दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 में प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये

**अस्वीकरण:** “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बिना, मेरे मत में, आवेदक जमानत पर मुक्त होने की अधिकारी है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

7. आवेदक - **प्रियंका सिंह** को उपरोक्त अपराध में संलिप्त होने के आरोप में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों के प्रकटीकरण से विरत करने के लिए प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।

(ii) आवेदक कोई स्थगन माँगे बिना विचारण/अन्वेषण में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगी।

(iii) आवेदक जमानत पर मुक्त होने के पश्चात् किसी आपराधिक गतिविधि अथवा अपराध में लिप्त नहीं होगी।

(iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंध-पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगी।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. बंध-पत्र स्वीकार किये जाने से पूर्व आवेदक एवं प्रतिभूओं की पहचान, प्रस्थिति एवं निवास प्रमाण सम्बन्धित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाये।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये इस आदेश की कम्प्यूटर जनित प्रति के आधार पर जमानत पर मुक्त किया जाये, जो सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित हो कि 15 दिवस के भीतर प्रमाणित प्रति दाखिल की जायेगी।

11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत देने के लिए नीति रणनीति, संदर्भ: स्वप्रेणा से रिट याचिका (आपराधिक) सं0 4/2021 दि0 31.01.2023 को निर्णीत (2024) 10 एससीसी 685 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस आदेश की एक

*अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



प्रति ई-मेल अथवा ई-प्रिज़न पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित कारागार अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को भेजे।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

19 मार्च, 2026

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”